जाटी/समादेश बन्धु
07/01/2012

S.O.-
लेखाधिकारी
Acctt
02/1/2013

संख्या– 04 /54–1–12/14(16)2013

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी**
(जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, शामली व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0
2. **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश, लखनऊ।
3. **अध्यक्ष एवं प्रशासक,**
रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 (समादेश बन्धु) **लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2013**

विषय– **आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के प्रोजेक्ट फण्ड की धनराशि का स्थानान्तरण इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वाटरशेड विकास परियोजनाओं (आईडब्ल्यूएमपी) के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 (यथा संशोधित–2011) के प्रस्तर–71 में प्रावधानित व्यवस्थानुसार भारत सरकार से प्राप्त ***प्रोजेक्ट फण्ड*** की धनराशि का प्रवाह (FUND FLOW) का तरीका (PATTERN) निम्नानुसार होगा :–

I. ***वाटरशेड वर्क्स, लाईवलीहुड, प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माईक्रोइन्टरप्राइजेज*** से सम्बन्धित धनराशि का प्रवाह (***FUND FLOW***) निम्नानुसार होगा–
डीओएलआर (भारत सरकार)→ एसएलएनए(उ0प्र0)→ डब्ल्यूसीडीसी→ डब्ल्यूसी

II. ***एडमिस्ट्रेटिव कास्ट, कैपेसिटी बिल्डिग, ईपीए, डीपीआर, मॉनीटरिंग मद*** से सम्बन्धित धनराशि का प्रवाह (***FUND FLOW***) निम्नानुसार होगा–
डीओएलआर (भारत सरकार)→ एसएलएनए(उ0प्र0)→ डब्ल्यूसीडीसी→ पीआईए

2. वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (डीओएलआर) से एसएलएनए को धनराशि ***इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर विधि से*** प्राप्त होती है। एसएलएनए से धनराशि का प्रवाह (FUND FLOW) डब्ल्यूसीडीसी को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार डब्ल्यूसीडीसी से धनराशि का प्रवाह (FUND FLOW) पीआईए एवं डब्ल्यूसी को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से धनराशि का प्रवाह (FUND FLOW) किये जाने में जहॉ एक ओर अनावश्यक विलम्ब होता है, वहीं दूसरी ओर धनराशि के स्थानान्तरण में पारदर्शिता का अभाव रहता है तथा समय की बर्बादी होती है। इसके अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण वित्तीय अनुशासन तथा पर्यवेक्षण भी प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (डीओएलआर) से स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) को ***इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से*** प्राप्त धनराशि को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित डब्ल्यूसीडीसी को ***इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से*** सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। इसी प्रकार डब्ल्यूसीडीसी द्वारा पीआईए एवं डब्ल्यूसी को ***इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से*** धनराशि स्थानान्तरित करने पर जहां एक ओर पारदर्शिता बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर ड्राफ्ट द्वारा धनराशि के प्रेषण की विधि से आने वाली असुविधाओं यथा ड्राफ्ट–इश्यू आदि में विलम्ब अथवा गुम हो जाने जैसी स्थितियों से भी मुक्ति मिल सकेगी।

क्रमशः ......

4. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एसएलएनए द्वारा जनपदों के डब्ल्यूसीडीसी को धनराशि ***इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से*** स्थानान्तरित करने के पश्चात डब्ल्यूसीडीसी स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी यह सुनिश्चित करायेंगे कि परियोजना मद में ***डब्ल्यूसीडीसी से पीआईए एवं डब्ल्यूसी*** को स्थानान्तरित होने वाली समस्त धनराशि ***इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से*** ही स्थानान्तरित की जाय। ***परियोजना प्रबन्धक*** यह सुनिश्चित करेंगे कि ***पीआईए से डब्ल्यूसी*** को परियोजना मद में स्थानान्तरित होने वाली समस्त धनराशि ***इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से*** ही स्थानान्तरित की जाये।

5. यदि किसी भी स्तर से धनराशि को वापस (REVERSE) करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में धनराशि का स्थानान्तरण ***इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से*** ही किया जाएगा।

6. एसएलएनए से ***परियोजना मद*** की धनराशि को जनपदों के ***डब्लूसीडीसी*** में ***इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर (आरटीजीएस/एनईएफटी) विधि से*** स्थानान्तरित कराने के लिए समस्त अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी/ परियोजना प्रबन्धक अपने बैंक/खाते का विवरण, मुख्य वित्तीय सलाहकार, एसएलएनए (एसएलडीसी), 23सी, गोखले मार्ग, लखनऊ, को निम्न प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराएगें :–

क्र0 सं0	जनपद/डब्ल्यूसीडीसी का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना मद के बैंक खाते का विवरण				
			बैंक का नाम	शाखा का नाम	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें एवं इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक– 04 (1)/54–1–12/15(16)2013 तददिनांक

<u>प्रतिलिपि</u>:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, कृषि, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 (जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज तथा शामली को छोड़कर)
5. उप महाप्रबन्धक, मण्डलीय कार्यालय, इलाहाबाद बैंक, नई बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ को उनके पत्र संख्या मकाल/यो0वि0/7627 दिनांक 28.12.12 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
6. समस्त उप निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग।
7. समस्त पीआईए/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग।
8. समस्त पीआईए/भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग।
9. प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय **वेबसाइट** <u>http://upldwr.up.nic.in</u> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी को **ई–मेल** भी प्रेषित करें।

आज्ञा से

02.1.13

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी